

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- मूलचन्द आर.ए.एस

अपील संख्या 2019/00016 (16/2019) 225 आरटीएक्ट

मोहम्मद मजीद पुत्र आमीन जाति मुसलमान निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन  
जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्त

—: बनाम :-

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ़। — रेस्पोंडेंट
2. मोहम्मद कलीम पुत्र आमीन जाति मुसलमान निवासी खुन्जा हनुमानगढ़ जंक्शन  
तहसील व जिला हनुमानगढ़। —तरतीबी रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 16.07.2019 द्वारा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड  
अधिकारी हनुमानगढ़ प्र. सं. 336/2015 बखनवानी स्टेट बनाम मोहम्मद कलीम

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलान्त


श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट सं. 1

श्री राजदीप राय अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2

दिनांक

—22.08.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी के नाम चक 2 के एनजे के खाता संख्या 162/153 प. नं. 113/268 में किला नं. 4 से 7, 14 से 17, 25 से 10 कुल 2.087 है। भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है जो कृषि कार्य हेतु है। अप्रार्थी या पूर्व खातेदार काश्तकार ने इस भूमि को राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत किसी कदर अकृषि कार्य में संपरिवर्तित नहीं करवाया हुआ है। इस भूमि पर ईट भट्टा बना रखा है। अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों में भू रूपान्तरण करवाये बिना अकृषि कार्य (ईट भट्टा) हेतु प्रयोग में लिया गया है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तों का उल्लंघन किया है, जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। अतः प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि को आराजीराज दर्ज किया जावे व कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2016 को अप्रार्थी के नोटिस तामील उपरान्त में उपस्थित नहीं आने पर


  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़



उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत रकबा पर अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ को कृषि भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर व आराजी राज दर्ज किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिए जाने के आदेश दिये। अप्रार्थी की ओर से इस आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया पेश कर आदेश को निरस्त कर उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया। विचारण न्यायालय ने यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए अपने उक्त आदेश को निरस्त किया एवं उभयपक्ष की बहस उपरान्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2019 के द्वारा अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त करने, प्रश्नगत कृषि भूमि से अप्रार्थी को बेदखल करने तथा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के स्थान पर आराजीराज दर्ज किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिए जाने के आदेश दिश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कानूनन जवाबदावा आने के बाद विवादक विरचित कर दोनों पक्षों को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग श्रीगंगानगर से मिट्टी उत्खनन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर मिट्टी खनन कार्य कर रहा है जो कानूनन सही है। रैस्पॉण्डेंट संख्या 2 का अधीनसी न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। रिपोर्ट पर अपीलाण्ट द्वारा एजराज आने पर अधीनस्थ न्यायालय को नये जिले से रिपोर्ट मंगवानी चाहिए थी। पटवारी हल्का द्वारा गलत और एकपक्षीय रिपोर्ट की गई है। प्रश्नगत भूमि शहरी सीमा क्षेत्र हनुमानगढ़ की भूमि है जिसमें नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि से अकृषि संपरिवर्तन नियम 2012 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रश्नगत भूमि नगरीय सीमा में आती है इसलिए इस पर नगरीय सीमा के कानून लागू होते हैं। राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि से अकृषि हेतु बनाये गये नियम 2012 में यह प्रावधान संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को ही प्राप्त है। उक्त नियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को ही जांच करने रिपोर्ट प्राप्त करने, नियमों के अन्तर्गत आदेश प्रदान करने के प्रावधान दिये गये हैं। उक्त नियमों के अनुसार संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कर्नल हेतु पत्रावली प्रस्तुत की हुई है। तहसीलदार प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं रखता है द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय को भी

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़



शहरी क्षेत्र की भूमि के सम्बन्ध में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि से अकृषि हेतु बनाये गये संपरिवर्तन नियम 2012 के अनुसार औद्योगिक ईकाई/ईट भट्टा हेतु उक्त नियमों के अन्तर्गत 5000 वर्गगज क्षेत्र की भूमि न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर के समान है एवं इससे अधिक क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत राशि प्राप्त करने के नियम तालिका संख्या 3 राजस्थान सरकार नगरी विकास विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.09.2012 के अन्तर्गत शहर क्षेत्र नियम बने हैं और इसके तहत प्राधिकृत अधिकारी नगरपरिषद हनुमानगढ़ तथा नगरीय विकास विभाग राजस्थान को ही कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान नगरीय (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की गई अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के विपरीत बिना कोई जांच किये आक्षेपित आदेश पारित किये हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। वह भूमि का रूपान्तरण करवाकर रूपान्तरण शुल्क जमा करवाने हेतु तत्पर व इच्छुक है, इसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलान्ट ने सम्परिवर्तन बाबत विचारधीन कार्यवाही के दस्तावेज भी प्रस्तुत किये हैं, परन्तु भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों में भू रूपान्तरण करवाये बिना अकृषि कार्य (ईट भट्टा) हेतु प्रयोग में लिया गया है। अप्रार्थी ने राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तों का उल्लंघन किया है, जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. विचारण न्यायालय ने रेस्पोंडेंट के आवेदन पर अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि संपरिवर्तन करवाये बिना कृषि कार्य से भिन्न कार्य इंट भट्टा में उपयोग में लेने के कारण खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए अपीलान्ट को बेदखल करने एवं भूमि को आराजी राज दर्ज करने एवं कब्ज बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये हैं। अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय को इसकी अधिकारिता नहीं है। धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत हानिप्रद कार्य का शर्त भंग के कारण बेदखली के प्रावधान किये गये हैं जिसमें उपधारा (3) में यह उल्लेख है कि

  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 हनुमानगढ़



इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में उल्लेखित की जाए के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाए कारण बताने का आदेश देगा। उपधारा (4) में यह प्रावधान है कि "यदि वह नोटिस में उल्लेखित अवधि के भीतर उपस्थित आता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय यथोचित न्यायालय शुल्क का भुगतान करे पर उस आवेदन पत्र को वाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार की एक वाद में कार्यवाही का निस्तार किया गया है। इसके अलावा धारा 178 (2) में यह प्रावधान है कि "ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निर्देश होगा कि अगर आगामी डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर जिसके लिए न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट फूट की मरम्मत करवा दे या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे तो न्यायालय उचित समझे तो डिक्री या आज्ञा की लागत के अलावा अन्य किसी के लिए निष्पादन हीं किया जायेगा। यहां इस तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं जो अपेक्षित थे। मौजूदा प्रकरण में अपीलाण्ट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178 (2) के तहत उसे तीन माह का समय नहीं दिया गया है जो अपेक्षित था। अपीलाण्ट द्वारा अपील में भी कथन किया गया है कि उसके द्वारा प्रकरण में कन्वर्जन संबंधी कार्यवाही की जा रही है। उसके संबंध में दस्तावेजों की प्रतियाँ भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं। यदि नियमानुसार संपरिवर्तन अपीलाण्ट कराकर उपरोक्त अवधि में दस्तावेज पेश कर देता है तो उसे भी दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है एवं अपील अपीलाण्ट काबिल स्वीकार है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.01.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उभयपक्षकारान से पुनः साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः परीक्षण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

22/8/19

( मूल न्यायाधीश अपील अधिकारी  
हनुमानगढ़ )

